प्रेस नोट **दिनांक 04.02.2026**

हत्या की घटना में सलिप्त 03 नफर अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद नाजायज चाकू , तीन अदद अन्ड्रायड मोबाइल फोन व एक अदद मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री क्रिस राजपूत के कुशल नेतृत्व मे थाना सरायलखंसी पुलिस, एसोजी टीम व सर्विलांस टीम द्वारा दिनांक 04.02.2026 को सम्बन्धित मु0अ0सं0 46/2026 धारा 103(1) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 3(5) बीएनएस व 4/25 आयुध अधि0 थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ से सम्बन्धित कुल 04 नफर अभियुक्त (03 नफर अभियुक्त व 01 नफर अभियुक्ता) को गिरफ्तार करते हुए उनके निशां देही पर घटना मे प्रयुक्त एक अदद नाजायज चाकू व तीन अदद अन्ड्रायड मोबाइल फोन व एक अदद मो0सा0 स्प्लेन्डर प्लस बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि ग्राम चोरपाखुर्द मे ट्यूब बेल के पास दिनांक 01.02.2026 को अमरुद के बगीचे में मृतक सुबच्चन उर्फ गेडी राजभर पुत्र स्व0 जगरुप निवासी मठ मुहम्मदपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 54 वर्ष की धारदार हथियार से हाथ की कलाई व गला काट कर हत्या कर दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध मे मृतक सुबच्चन उर्फ गेड़ी की पत्नी रमावती देवी के द्वारा दिनांक 2.02.2026 को लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 46/2026 धारा 103(1) बीएनएस थाना सरायलखंसी मऊ बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मृतक सुबच्चन उर्फ गेडी की हत्या कारित करने वाले अभियुक्त की तलाश व गिरफ्तारी हेतु थाना सरायलखंसी की पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास व सर्विलांस टीम की भी मदद लिया जा रहा था। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित मृतक सुबच्चन उर्फ गेडी राजभर पुत्र स्व0 जगरुप निवासी मठ मुहम्मदपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के द्वारा इलेक्ट्रानिक साक्ष्यो का प्रयोग व सीडीआर के अवलोकन करते हुए (03 नफर अभियुक्त व 01 नफर अभियुक्ता) कुल 04 नफर अभियुक्तो क्रमशः 1.राममिलन राजभर उर्फ मुकधुन पुत्र स्व0 मुन्ना राजभर निवासी ग्राम सिगाड़ी थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र 24 वर्ष 2.सुधीर राजभर उर्फ दीपू पुत्र रामकिशुन राजभर निवासी ग्राम सिगाड़ी थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र करीब 21 वर्ष 3. छट्ठू राजभर उर्फ रोहित पुत्र कन्हैया राजभर निवासी ग्राम सिगाड़ी थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष 4.पिंकी राजभर पत्नी चन्दन राजभर सा0 मठ मुहम्मदपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की घटना में संलिप्तता के प्रमाणिक व

पुष्टिकारक साक्ष्य पाये जाने पर मुकदमा उपरोक्त में उपरोक्त अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5) बीएनएस व 4/25 आयुध अधि0 की बढोत्तरी की गयी करते हुए अभियुक्त राममिलन राजभर उर्फ मुकधुन , सुधीर राजभर उर्फ दीपू , छट्टू राजभर उर्फ रोहित को ग्राम सिगाडी थाना मोहम्मदाबाद व अभियुक्ता पिंकी राजभर को ग्राम मठमुहम्मदपुर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त राममिलन राजभर उर्फ मुकधुन उपरोक्त से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि साहब मैं पिंकी राजभर से बात करता हूँ मृतक सुबच्चन उर्फ गेडी राजभर ने पिंकी को भला बुरा कहते हुए उसे बहुत डांटा था तो पिंकी ने मुझे सारी बातें बतायी मुझे बहुत गुस्सा आ गया इसीलिए दिनांक 01.02.2026 की रात में मैं मेरे दो दोस्त सुधीर राजभर उर्फ दीपू पुत्र रामकिशुन राजभर निवासी ग्राम सिगाड़ी थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ तथा छट्टू राजभर उर्फ रोहित पुत्र कन्हैया राजभर निवासी ग्राम सिगाड़ी थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ के साथ सुधीर तीनों लोग मिलकर शराब पिये और और सुबच्चन उर्फ गेडी राजभर को फोन करके गरथौली गांव के बाहर एक ट्यूबेल पर शराब पिलाने के बुलाया। हम चारो लोगों ने एकसाथ शराब पी शराब पीते समय मैने अपने फोन से हम लोगो का वीडियो भी बनाया था। जब सुबच्चन उर्फ गेडी राजभर जब नशे में हो गया तो उसको अमरुद के पेड़ के पास ले गये फिर उसका मुंह दबाकर धारदार चाकू से उसका गला रेत दिया जिससे सुबच्चन वहीं पर गिर पड़ा फिर मैने उसी चाकू से उसका गला रेता तथा फिर मेरे दोस्त छट्टू राजभर उर्फ रोहित ने उसी चाकू से सुबच्चन का गला काट दिया तथा दाहिने हांथ की कलाई रोहित उर्फ छट्टू ने उसी चाकू से काट दिया और फिर हम लोगो ने तब तक उसका गला रेतते रहे जब तक कि सुबच्चन राजभर मर नहीं गया । मैने गला रेतते हुए वीडियो अपने मोबाइल से बनाया था तथा अभियुक्तो के निशां देही पर घटना मे प्रयुक्त एक अदद नाजायज चाकू व तीन अदद अन्ड्रायड मोबाइल फोन व एक अदद मो0सा0 स्प्लेन्डर प्लस वाहन संख्या UP54AZ7890 बरामद किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तो को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

नाम पता अभियुक्तगण -

1. राममिलन राजभर उर्फ मुकधुन पुत्र स्व0 मुन्ना राजभर निवासी ग्राम सिगाड़ी थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र 24 वर्ष
2. सुधीर राजभर उर्फ दीपू पुत्र रामकिशुन राजभर निवासी ग्राम सिगाड़ी थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र करीब 21 वर्ष
3. छट्टू राजभर उर्फ रोहित पुत्र कन्हैया राजभर निवासी ग्राम सिगाड़ी थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष
4. 4.पिंकी राजभर पत्नी चन्दन राजभर सा0 मठ मुहम्मदपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0 46/2026 धारा 103(1) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 3(5) बीएनएस व 4/25 आयुध अधि0 थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

बरामदगी का विवरण-

1. घटना मे प्रयुक्त एक अदद नाजायज चाकू
2. तीन अदद अन्ड्रायड मोबाइल फोन
3. एक अदद मो स्प्लेन्डर प्लस 0सा0वाहन संख्या UP54AZ7890

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह
2- मय हमराही
3- एसोजी टीम मऊ
4- सर्विलांस टीम मऊ

अपहरण के मामले में वांछित 01अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री क्रिस राजपूत के कुशल नेतृत्व मे थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा रेलेव स्टेशन के पास से मु0अ0स0 39/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस में वांछित अभियुक्त मो0 जैद पुत्र जुबैर अहमद निवासी जमालपुरा नाला विश्वनाथपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. मोजैद पुत्र जुबैर अहमद निवासी जमालपुरा नाला विश्वनाथपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद 0 मऊ

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु 87 ,(2)137 धारा 2026/39 0स0अ0बीएनएस

03 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में बिभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरियें मुखबिर की सूचना पर थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण

1.फूलचन्द पुत्र जगदेह, 2. रामलखन पुत्र महादेव, 3. रामदास पुत्र स्व. झागुर निवासीगण सुतरही थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ। को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायलय उठने तक की सजा व ₹2500 अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के मा0 न्यायालय न्यायिक ACJM कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 04-02-2026 को मु0अ0सं0 47/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र सुरेश थाना मधुवन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए न्यायलय उठने तक की सजा व ₹2500 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रिया सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार का0 सरवन का सराहनीय योगदान रहा।